

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 21/2016



प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बाबूलाल पुत्र स्व. श्री सेसाराम उम्र 40 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री सेसाराम 2. पानीदेवी पत्नी श्री सेसाराम जातियान सीरवी, निवासीगण ग्राम बिलाड़ा, चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. विक्रय अधिकारी, बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज लगायी गयी प्रार्थी स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। इस प्रार्थन पत्र से सम्बंधित राजस्व मूलवाद संख्या 32/2016 बाबूलाल बनाम ओमप्रकाश वगैराह अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। अतः मूलवाद खारिज हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार व नम्बर से कम होकर मूल वाद संख्या 32/2016 बाबूलाल बनाम ओमप्रकाश वगैराह अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2017 को सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा